

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2018-2019 से 2021-22 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण।

शासन के पत्र संख्या- 3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29-03-2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। अतः वाणिज्यकर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्न दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत अग्रेतर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा ली जाये :-

- 1- वाणिज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश और जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर तथा प्रत्येक वर्ष 31 मई के उपरान्त एक स्तर उच्च या कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत स्थानान्तरण/पटल परिवर्तन करने के लिए स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अधिकृत हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तैनात हैं, अतः यहां तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनों जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तथा दोनों जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जोन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का जोन से बाहर स्थानान्तरण एवं वाणिज्य कर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के स्तर से किये जायें।
- 3- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष
ख- वि०अनु०शा० एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष
ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष
घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष
च- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) वाणिज्य कर कार्यालय तथा टैक्स आडिट कार्यालय को भी कर निर्धारण कार्यालय की परिधि में माना जाये।
(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)
- 4- सचलदल से वि०अनु०शा० में एवं वि०अनु०शा० से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हें 03 वर्षों तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" व समूह "घ" श्रेणी के जिन कार्मिकों की दूषित

